

# सारण समाहरणालय(जिला भू-अर्जन कार्यालय), सारण, छपरा।

अधिसूचना

(सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन S.I.A)

(देखे नियम 6 का उप-नियम(1))

पूर्व मध्य रेलवे (निर्माण विभाग), मुजफ्फरपुर के द्वारा छपरा- मुजफ्फरपुर (भाया, गरखा, मकेर एवं रेवाडीह) नई रेल लाईन के निर्माण हेतु मौजा-अंजनी चादर नं0-2 में भूमि अधिग्रहण करने के लिए अधियाचना उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः व्यवस्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 एवं बिहार भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 के तहत दी गई है। अधिनियम 2013 की धारा 4(2) एवं नियमावली 2014 के नियम 6(1) के तहत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु चन्द्रगुप्त संस्थान पटना को अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचित ऐंजेंसी अधिनियम 2013 की धारा 4(2) एवं नियमावली 2014 की नियम 6 (3) के आलोक में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2014 की अध्ययन III में वर्णित नियमों के अंतर्गत करते हुए अधिसूचना की तिथि से 6 माह के अंदर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र III में समुचित सरकार-सह- समाहर्ता सारण को समर्पित करेंगे।

परियोजना का नाम- छपरा- मुजफ्फरपुर (भाया, गरखा, मकेर एवं रेवाडीह) नई रेल लाईन

गाँव का नाम-	अंजीन चादर नं0-2
थाना नं0-	232
राजस्व थाना-	परसा
अंचल-	परसा
जिला-	सारण
भू-अर्जित किये जाने वाले संपूर्ण भू-खण्डों की संख्या-	05
भाग भू-खण्डों की सं0	10
अधिग्रहित किये जाने वाले भूमि का क्षेत्रफल	0.865 एकड़
भू-अर्जित किये जाने वाले भूमि के क्षेत्रफल की चौहदी-	उ0-कस्बा मकेर द0-अंजनी चादर नं0-1 पु0-2400, 2407, 2416, 2420, 2480 प0-कस्बा मकेर

समाजिक प्रभाव मूल्यांकन एंजेंसी का नाम एवं संपर्क सूचना— चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना  
दूरभाष सं०—0612—3227923, 3227926  
मोबाईल—  
email id-director@cimp.ac.in,

*[Handwritten Signature]*  
समूचित सरकार  
—सह—  
समाहर्ता, सारण।

ज्ञापांक.....*547*...../भू0अ0, दिनांक.....*27/4/18*.....

- प्रतिलिपि— निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को सूचनार्थ एवं निर्धारित अवधि के अन्दर समाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने एवं प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता, सारण छपरा/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को सूचनार्थ तथा अपने कार्यालय में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परसा/अंचल अधिकारी, परसा को सूचनार्थ एवं अपने कार्यालय में प्रकाशित करने तथा प्रभावित/संदर्भित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु एवंजन प्रतिनिधियों को भी इसकी एक प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— जिला सूचना पदाधिकारी, सारण/आई0टी0 मैनेजर सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अधिसूचना को जिला वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जाय।

*[Handwritten Signature]*  
समूचित सरकार  
—सह—  
समाहर्ता, सारण।